स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

ईपीएबीएक्स 011-23717391-98
फैक्स 011-23713412/23739944
वेबसाइट: www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/दिव्यांगजन/2018-ईपीएस

दिनांक: 27 सितम्बर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: मतदान दिवस पर दिव्यांग जनों और उनके सहायकों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना-तत्संबंधी।

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग के लक्ष्य "कोई भी मतदाता न छूटे और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2018 के थीम "सुगम निर्वाचन" के आधार पर आयोग ने दिनांक 3 जुलाई और 4 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में सभी हितधारकों के साथ सुगम निर्वाचनों पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया और सुगम निर्वाचनों पर कार्यनीतिक रूप रेखा जारी की।

कार्यनीतिक रूपरेखा के सभी मापदण्डों को लागू करने और निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की सम्पूर्ण और रचनात्मक भागीदारी एवं सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिया है:-

1. मतदान दिवस को प्रत्येक मतदान केन्द्र में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा होनी चाहिए।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी दिव्यांगजनों के सम्पूर्ण परिवहन संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।
3. प्रत्येक जिले के लिए एक परिवहन नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
4. प्रत्येक दिव्यांगजन को मतदान केन्द्र-वार टैग किया जाना चाहिए और उसे उसके निवास स्थान से लाना चाहिए तथा अपना मत डालने के पश्चात वापिस उसे घर पर छोड़ना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि अनुदेश का अक्षरश: पालन किया जाए। इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव